जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची

दूरभाष:–0651–2201076

ई–मेल:– drdaranchi2017@gmail.com

पत्रांक ..../जि0ग्रा0

दिनांक ..../2021

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण से संबंधित आवश्यक सूचना

रॉची जिला अन्तर्गत ग्रामीणों को सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस के प्राथमिकता सूची से आवासों की स्वीकृति की जानी है। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 2008(अनु0), दिनांक 05.07.2021 द्वारा प्राप्त आवास प्लस के मॉड्यूल के कंडिका–09 में प्राप्त निदेश के अनुसार प्रखण्ड द्वारा तैयार किये गये आवास प्लस की प्राथमिकता सूची का जिला स्तर पर गठित जिला अपीलीय कमिटी द्वारा अनुमोदन किया जाना है।

आपत्तियों पर निर्णय लेने हेतु उप विकास आयुक्त, राँची की अध्यक्षता में जिला अपीलीय कमिटी गठित की गई है, जिनके सदस्य परियोजना पदाधिकारी, डी0आर0डी0, राँची होगें।

रॉची जिला अन्तर्गत **बेड़ो एवं ओरमांझी** प्रखण्ड के द्वारा पंचायतों की सूची अपीलीय कमिटी को अनुमोदन हेतु भेजी गई है। प्रखण्ड द्वारा तैयार की गई लाभुकों की इस प्राथमिकता सूची को प्रखण्ड कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सूची पर यदि कोई भी आपत्ति हो तो दिनांक 25.08.2021 से दिनांक 29.08.2021 तक किसी भी कार्य दिवस में जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त, राँची के कार्यालय, विकास भवन, कचहरी रोड, राँची एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में आपत्ति दिया जा सकता है।

नोट – दावा एवं आपत्ति निराकरण हेतु तय तिथि के उपरांत किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

23/8/21

उपायुक्त,
राँची।

ज्ञापांक : ....995......(ii)/जि०ग्रा०   दिनांक : 24/08/2021

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, जिला इकाई, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि राँची जिला के वेबसाइट www.ranchi.nic.in पर उपरोक्त सूचना का प्रकाशन कराया जाये।

प्रतिलिपि :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेड़ो एवं ओरमांझी प्रखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आपत्ति आमंत्रण हेतु निर्धारित तिथि पूर्ण होते ही तत्संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त आपत्तियों (यदि कोई हो तो) के साथ अभिकरण कार्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

23/8/21

उपायुक्त,
राँची।

Scanned with CamScanner